ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 204-206**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

भारत में दिव्यांग सशक्तिकरणः चुनौतियां एवं समाधान (एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

1. रविन्द्र सिंह
2. डॉ0 विनोद कुमार मिश्र

1. शोध अध्येता, 2. एसो0 प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)– समाजशास्त्र विभाग व संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय, ज. रा. दि. रा. वि. चित्रकूट (उ0प्र0) भारत

Received-18.09.2024, Revised-25.09.2024, Accepted-30.09.2024 **E-mail : ravindrasingh.phd@gmail.com**

सारांशः भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया एक जटिल मुद्दा है। दिव्यांगता को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल व्यक्ति की पहचान को प्रभावित करता है, बल्कि उनके विकास और समावेशिता को भी बाधित करता है। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न कानून और नीतियां बनाई गई हैं, जैसे कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। हालांकि, इन कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन और समाज में समग्र स्वीकार्यता में चुनौतियां बनी हुई हैं।

कुंजीभूत शब्द– दिव्यांग सशक्तिकरण, दिव्यांग अधिकार, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशिता, शिक्षा, स्वास्थ्य

समाज में दिव्यांगता के प्रति पूर्वाग्रह और भ्रांतियों का प्रचलन है, जो दिव्यांग व्यक्तियों को भेदभाव और अलगाव का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह स्थिति उन्हें शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक सहभागिता में पीछे छोड़ देती है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सीमित हैं, और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी अक्सर उनके विकास में बाधा डालती है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी विभिन्न बाधाएं होती हैं। दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के क्षेत्र में सुधार शामिल हैं। इसके लिए जागरूकता अभियान, नीतिगत सुधार, और सामाजिक समावेशिता के प्रयास जरूरी हैं। इस शोध पत्र में इन सभी पहलुओं का विश्लेषण किया जाएगा, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में आने वाली चुनौतियों और उनके सम्भावित समाधानों को समझा जा सके।

दिव्यांगता– सामान्य शब्दों में किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य को करने में होने वाली परेशानी अथवा न कर पाने की स्थिति को दिव्यांगता कहा जा सकता है।
दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016–दिव्यांगता से तात्पर्य किसी "दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि से है, जो एक व्यक्ति को दूसरों के समान ही समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती हैं।"

सशक्तिकरण– सशक्तिकरण शब्द से शक्ति को बढ़ाने का बोध होता है किन्ओतु यहां सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी वर्ग विशेष की शक्ति बढ़ाकर उसे समाज में सर्वोच्च स्थान पर रख देने से नहीं है बल्कि समाज में पिछड़े हुए एक वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने से है। सामान्य शब्दों में किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक, या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जा सकता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी समाज की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उस समाज में सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और सामाजिक व्यवस्था तभी सन्तुलित हो सकती है जबकि उस समाज की प्रत्येक इकाई अर्थात वहां रहने वाले सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेद–भाव (लिंग/नस्ल/प्रजाति/रंग) के समान अवसर उपलब्ध हो सकें प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री टालकॉट पारसन्स भी अपने समाज व्यवस्था सिद्धान्त में लिखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के लिए तीन तत्व वैयक्तिककर्ता, अन्तःक्रियात्मक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक प्रतिमान का होना आवश्यक है और यह तीनों तत्व एक दूसरे के पूरक भी हैं यदि इनमें से कोई एक तत्व न हो तो एक स्वस्थ समाज व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और उसमें भी वैयक्तिक कर्ताओं का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है पारसंस का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था तब तक नहीं पनप सकती जब तक कि उसमें वैयक्तिक कर्ताओं को उनकी सामाजिक प्रस्थिति के अनुसार योगदान देने का अवसर न प्रदान किया जाए जो कि समाज का एक अंग होने के नाते समाज उनसे आशा भी करता है। यहां वैयक्तिककर्ता से आशय किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष से न होकर सम्पूर्ण समाज से है जिसमें दिव्यांग भी शामिल हैं ।

ठीक इसी प्रकार अधिकांश प्रकार्यवादी भी समाज को एक सजीव के समरूप मानते हैं। अतः जिस तरह शारीरिक संरचना को बनाए रखने के लिए सभी अंगों का परस्पर कार्य करते रहना आवश्यक है उसी तरह सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए समाज की सभी इकाइयों का परस्पर मिलकर कार्य करना आवश्यक है। प्रसिद्ध संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचारक रेडक्लिफ ब्राउन का तो मानना है कि जब समाज में प्रकार्यात्मक एकता कम हो जाती है अर्थात उस समाज की कुछ इकाइयां सुचारू रूप से कार्य करना बन्द कर देती हैं तो उसे कलेदवउपं अर्थात बीमारी की स्थिति कहते हैं इस प्रकार स्वस्थ समाज वही है जहां सभी वर्गों एवं व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए। अतः इस संदर्भ में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना अत्यन्त आवश्यक है।

दिव्यांग सशक्तिकरण की चुनौतियां– दिव्यांगजन किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए प्रायः दो प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं एक तो अपनी व्यक्तिगत अथवा जैवकीय कारण से किसी एक या एक से अधिक अंग में हुई विकृति से तथा दूसरी अपने सामाजिक वातावरण से। प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री सी. एच. कूले ने समाजीकरण से सम्बन्धित अपने आत्म दर्पण के सिद्धान्त में यह उल्लेख किया है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा समाज हमारे बारे में जैसा व्यवहार करता है उसी से सम्बन्धित हम अपने आपके लिए धारणा बना लेते हैं अर्थात जब समाज का रवैया हमारे प्रति सकारात्मक होता है तो हम अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं तथा जब समाज का व्यवहार हमारे प्रति नकारात्मक

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

होता है तो हमारे मन में अपने लिए नकारात्मक भावना उत्पन्न हो जाती है यह अवधारणा दिव्यांगजनों के सन्दर्भ में प्रासंगिक प्रतीत होती है। अतः इस प्रकार दिव्यांगजन हमेशा दोहरी चुनौतियों का सामना करते हैं। दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण से सम्बन्धित कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं–

शिक्षा में असमानता – यूनेस्को की हाल ही में प्रकाशित एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक स्थिति आज भी चिन्ताजनक है, हालांकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अनेक सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं किन्तु दिव्यांगजनों की शिक्षा में आज भी अनेक चुनौतियां है। जैसे कि विशेष शिक्षा और सुलभ पाठ्य सामग्री की अनुपलब्धता। यदि आंकड़ों के आधार पर देखें तो भारत के प्रत्येक गांव अथवा शहर में किसी न किसी दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे अवश्य होते हैं किन्तु आज भी देश के प्रत्येक स्कूल में विशेष शिक्षकों की उपलब्धता नहीं है यदि है भी तो किसी एक प्रकार की दिव्यांगता में प्रशिक्षित अध्यापक वहां पढ़ने वाले सभी प्रकार की दिव्यांगताओं वाले बच्चों के शिक्षण का कार्य करता हैं जो कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए उचित नहीं है इसी प्रकार दूसरी सबसे बड़ी समस्या आवश्यक अनुकूलित पाठ्य सामग्री एवं उपकरणों से सम्बन्धित है।

रोजगार के अवसरों की कमी– हमारे देश में शिक्षा और रोजगार के मध्य बड़ा अन्तराल है हमारे शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षा प्रणाली और उद्योगों की कार्यप्रणाली में बहुत कम तालमेल देखने को मिलता है अर्थात शिक्षा संस्थान जो रोजगार कौशल प्रदान करते हैं तथा उद्योगों को जिन रोजगार कौशलों की आवश्यकता है उनमें सामंजस्य नहीं बैठ पाता अर्थात अधिकांश शिक्षित युवा बेरोजगार रह जाते हैं दिव्यांग जनों के सन्दर्भ में यह स्थिति अत्यन्त ही संवेदनशील है तथा दिव्यांगजनों के सन्दर्भ में दूसरा प्रमुख कारण नियोक्ताओं की नकारात्मक मनोवृति व दिव्यांगजनों की शारीरिक विकृति है।

सामाजिक समावेश की कमी– दिव्यांग जनों के प्रति समाज में भेदभाव पूर्ण रवैया है जैसे कि किसी धार्मिक या पवित्र कार्यों में दिव्यांग जनों की उपस्थिति को अशुभ मानना, दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों के सामने सांकेतिक भाषा में बात करना तथा कार्यस्थल पर दिव्यांग सहकर्मियों के प्रति भेदभाव करना जिसके कारण वह अपने आप को समाज से अलग थलग अनुभव करते हैं जो कि सामाजिक समावेशन के लिए सबसे बड़ी बाधा है।

नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन एवं राजनीतिक भागीदारी में बाधाएं– स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक दिव्यांग जनों के हित में सरकार द्वारा अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है किन्तु उनका सफल क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती है इसका प्रमुख कारण दिव्यांगजनों की राजनीतिक सहभागिता में कमी है।

अवसंरचना की कमी– दिव्यांगजनों के लिए कई सार्वजनिक स्थलों और सेवाओं में भौतिक पहुंच की कमी होती है, जैसे कि रैम्प, लिफ्ट, और सुलभ शौचालय तथा कई स्थानों पर दिव्यांगजनों हेतु रैम्प लिफ्ट तथा सुलभ शौचालय एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं होती भी हैं किन्तु उनका अनुकूलन दिव्यांगता की स्थिति के अनुकूल न होने के कारण दिव्यांग व्यक्ति उनका आसानी से उपयोग नहीं कर पाते हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में रुकावटें– दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, दिव्यांगता और निर्धनता में गहरा सम्बन्ध है अतः कई बार निर्धन व्यक्ति दिव्यांग हो जाते हैं एवं अधिकांश दिव्यांग व्यक्ति निर्धन भी हैं ऐसे में दोनों ही स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच एक गंभीर समस्या है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी चुनौती विशेषज्ञ चिकित्सकों और उपकरणों की अनुपलब्धता भी है।

समाधान और सशक्तिकरण के उपाय

शैक्षिक सुधार– सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों के अनुपात एवं दिव्यांगता की प्रकृति के अनुसार प्रशिक्षित नियमित अध्यापकों की नियुक्ति आवश्यक है क्योंकि किसी एक प्रकार की दिव्यांगता में प्रशिक्षित अध्यापक सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को नहीं पढ़ा सकता तथा नियुक्ति के समय सम्बन्धित अध्यापकों का कौशल परीक्षण अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में दिव्यांग बच्चों हेतु दक्ष अध्यापकों की कमी है। दिव्यांगजनों की सहायता और सहायक उपकरणों के सम्बन्ध में अनुसन्धान और विकास को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न सुविधाओं तक उनकी पहुँच को आसान बनाया जा सके।

रोजगार की स्थिति में सुधार – दिव्यांगता की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में दिव्यांगता के अनुकूल पदों का सृजन एवं चिन्हांकन किया जाए ताकि दिव्यांगजन कुशलता पूर्वक कार्य कर सकें। तथा स्वरोजगार हेतु आवश्यक प्रशिक्षण के साथ–साथ सम्बन्धित व्यवसाय हेतु उचित एवं रियायती दरों पर ऋण की सुविधा उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

नीतिगत पहल– दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु प्रभावी नीतियों का निर्माण आवश्यक है और यह तभी सम्भव हो सकता है जब विभिन्न कल्याणकारी नीतियां बनाते समय दिव्यांगजनों के अनुभवों को शामिल किया जाए तथा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समय–समय पर समीक्षा की जाए एवं इस क्षेत्र में कार्यरत सभी निजी एवं सार्वजनिक संस्थानों का प्रत्येक वर्ष ऑडिट किया जाए। तथा आरक्षण नियमों का पालन करते हुए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए ताकि दिव्यांगजनो की वास्तविक स्थिति से सरकार एवं समाज अवगत हो सके।

अवसंरचनात्मक सुधार– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के नियम 15 में केन्द्र एवं राज्य सरकारों को दिव्यांग जनों के लिये सुगमता सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक भवनों के लिये दिशा–निर्देश और मानक स्थापित करने का आदेश दिया गया है। इन मानकों में दिव्यांग जनों के लिये मानक निर्मित वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आदि का अनुकूलन शामिल है। परन्तु सभी राज्यों में इन नियमों का पालन पूर्ण रूप से अभी भी सम्भव नहीं हो

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

सका है। अतः उक्त नियमों का त्वरित गति से पालन करना होगा। तथा दिव्यांगता की स्थिति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए संरचनात्मक सुधारो पर बल देने की आवश्यकता है जैसे भवन निर्माण करते समय अस्थि दिव्यांगजन हेतु रैम्प की सुविधा, पूर्ण एवं अल्प दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों हेतु सीढ़ियां बनाते समय यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि सभी सीढ़ियों का आकार एक समान हो तथा सीढ़ियों की विभाजन पट्टी का रंग सीढ़ियों के रंग से अलग होना चाहिए ताकि अल्प दृष्टिबाधित व्यक्ति सीढ़ियों के आरम्भ एवं अन्त का पता लगा सकें एवं भवनों के सभी मुख्य स्थानों पर भवन से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएं लिखी होनी चाहिए ताकि श्रवण बाधित व्यक्तियों को आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सके।

सामाजिक समावेश– एक समावेशी समाज से ही विकसित राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। और एक समावेशी समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब प्रजाति, लैंगिक, जातीय एवं धार्मिक आदि आधारों पर पाई जाने वाली सामाजिक असमानता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए क्योंकि यह समावेशी एवं सतत समाज निर्माण की दिशा में एक बड़ी बाधा है। क्योंकि हम दिव्यांग जनों के सन्दर्भ में बात कर रहे हैं। अतः जब दिव्यांगजनों को समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाएगा तो इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब समाज में उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाए एवं उसके कार्यों को भी महत्व दिया जाए तथा प्रेरित किया जाए।

स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार– विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा दिव्यांग व्यक्ति 20 वर्ष कम जीते हैं। इसके लिए कई कारक जिम्मेदार है जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं की कमी तथा कुपोषण की समस्या एवं मानसिक अवसाद की स्थिति आदि। चूंकि एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए भली प्रकार से कार्य कर सकता है। अतः दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए उनके लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित उपलब्धता आवश्यक है।

निष्कर्ष– उपरोक्त विवेचन से पता चलता है कि दिव्यांगजन आज भी सामाजिक परिवर्तन के दौर में हाशिए पर हैं। हाशिए पर होने का मूल अर्थ है व्यक्तिगत, सामाजिक स्तरों पर पूर्ण सामाजिक भागीदारी तथा अन्य आवश्यकताओं से वंचित रखा जाना। जाहिर है, सामाजिक संरचना में किसी व्यक्ति या समाज के हाशिए पर होने के कई आधार हैं उनमें दिव्यांगता भी एक प्रमुख आधार है। अतः अब समय आ गया है उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का तथा सहानुभूति की बजाय समानुभूति के नजरिया से देखने का। किसी भी व्यक्ति का आर्थिक पुनर्वास उसके सामाजिक पुनर्वास का प्राथमिक आधार है, वहीं व्यक्ति का चिकित्सीय एवं शैक्षिक पुनर्वास उसके आर्थिक पुनर्वास का माध्यम है और उनके सशक्तीकरण के लिये अत्यन्त आवश्यक भी है। अतः दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने हेतु उनकी आर्थिक, शैक्षिक एवं चिकित्सीय स्थिति में शुधार आवश्यक है। तथा उन्हें सशक्त बनाने हेतु उक्त सुधारो के साथ–साथ सामाजिक समावेशन और संरचनात्मक सुधार एवं राजनीतिक भागीदारी भी परम आवश्यक है तभी दिव्यांग सशक्तिकरण के प्रयास सफल हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लिमये, सन्ध्या, (मई 2016), विकलांग जनों का सामाजिक समावेशनरू मुद्दे एवं रणनीतियां, योजना पत्रिका, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. पांडेय ,रवि प्रकाश,(2023), समाजशास्त्रीय सिद्धान्त रू अभिगम एवं परिप्रेक्ष्य (चतुर्थ संस्करण), विजय प्रकाशन मंदिर प्रा. लि. वाराणसी उ. प्र.
3. सिंह, जे. पी.,(2016), आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, पी एच आई लर्निंग प्रा. लि., नई दिल्ली।
4. शशि सौरभ,(2019), भारत में दिव्यांगजन का राजनीतिक सशक्तीकरणरू एक चुनौती,प्श्रैच्ळ 2019; 1(2)रू 21–25
5. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/enhancing-accessibility-for-persons-with-disabilities
6. https://news.un.org/hi/story/2019/07/1014632
7. https://www.drishtiias.com/hindi/to-the-points/paper2/disability-in-india-problems-and-solutions
8. https://hindi.downtoearth.org.in/health/due-to-health-disparities-the-disabled-live-up-to-20-years-less-than-others-86346

*****